मूल प्रति/द्वितीय प्रति
निविदा फार्म क्रमांक..........
अहस्तांतरणीय

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड

SCSC

ब्लॉक ए,तृतीय तल,पर्यावास भवन,जेल रोड भोपाल

निविदा दस्तावेज

आयोडीनयुक्त नमक

(ISI मार्का)क्रय हेतु

निविदा अवधि

अप्रैल 2009 से मार्च 2010 तक

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड
ब्लाक 1,तृतीय तल,पर्यावास भवन,जेल रोड भोपाल
फोन न0 0755- 2780288, 4234129

// आयोडीनयुक्त नमक क्रय हेतु निविदा //

मध्यप्रदेश राज्य के जिलों में स्थित निगम के गोदामों में आयोडीनयुक्त पी.एफ.ए. मानकों एवं आई.एस.आई. मार्का नमक प्रदाय हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उद्यम तथा प्रतिष्ठित निर्माताओं,जिनका नमक आयुक्त, भारत सरकार द्वारा जीवित पंजीयन हो तथा आयोडीनयुक्त नमक पूर्ति का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु दस्तावेज ।

1.	निविदाकार का नाम एवं पता	श्री/मैसर्स.. ....
2.	फर्म /कंपनी का पंजीयन क्रमांक	....
3.	निविदा फार्म का मूल्य	रूपए 1000.00 (वाणिज्यिक कर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त)
4.	निविदा फार्म के मूल्य की मनी रसीद क्रमांक एवं दिनोक	....
5.	निविदा फार्म के विक्रय हेतु अंतिम दिनाँक एव समय	दिनांक 05.03.09 समय 2.30 बजे अपरान्ह तक
6.	निविदा जमा करने हेतु अतिंम दिनाँक एवं समय	दिनांक 05.03.09.समय 3.30 बजे अपरान्त तक
7.	निविदा विक्रय हेतु निर्धारित स्थान	मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 ब्लाक-1,तृतीय तल,पर्यावास भवन,जेल रोड मुख्यालय -भोपाल (मध्यप्रदेश)
8.	निविदा खोले जाने की तारीख एवं समय	दिनांक 05.03.09.समय 4.00 बजे अपरान्हः
9.	निविदा जमा / खोले जाने का स्थान	मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 ब्लाक-1,तृतीय तल,पर्यावास भवन,जेल रोड मुख्यालय -भोपाल (मध्यप्रदेश)

टिप्पणीः-

1. निविदा खोलने के लिए निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है,तो निविदा अवकाश दिवस के पश्चात अगले कार्यकारी दिवस को खोली जाएगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाए गए स्थान, समय में परिवर्तन नहीं होगा ।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है एवं दो प्रतियों में जारी किया जाएगा । निविदा की द्वितीय प्रति निविदाकार द्वारा रखी जाएगी ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा फार्म में पृष्ठ 01 से 28 तक समाहित है ।
4. निविदा दस्तावेज की मूल प्रति में ही प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं ।
5. यह निविदा दस्तावेज कारपोरेशन की वेब साईट www.mpscsc.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। आप इसे डाउनलोड करके भी निविदा कार्यवाही में भाग ले सकते हैं । परंतु, ऐसी दशा में निविदा फॉर्म के मूल्य की राशि रू0 1000/- (12.5 टेक्स अतिरिक्त) का डिमांड ड्राफ्ट एम0पी0 स्टेट सिविल सप्लाईज् कारपोरेशन लि0 भोपाल के नाम देय संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा , अन्यथा इसे मान्य नहीं किया जाएगा । यह राशि कारपोरेशन के मुख्यालय में भी कार्यकारी दिनों में नगद जमा की जा सकती हैं ।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर,नाम एवं पदमुद्रा

<u>उदबोधन</u>

प्रिय निविदाकार

महाप्रबंधक म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के लिए तथा उसकी ओर से मुख्य रूप से मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित गोदामों में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उद्यम, प्रतिष्ठित नमक निर्माताओं से नमक क्रय (एफ.ओ.आर.)हेतु निविदा अनुबंध दिनाँक से निर्दिष्ठ समयावधि हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है ।

2. उल्लेखनीय है कि यह कारपोरेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्व होकर म0प्र0 शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 1974 से कार्यरत हैं । कारपोरेशन द्वारा मुख्यतः जन उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं जिनमें मुख्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनान्तर्गत खाद्यान्न/शक्कर/नमक/मोटे अनाजों आदि की खरीदी/वितरण/विक्रय तथा गेहूं, धान तथा मोटे अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत उपार्जन करना सम्मिलित है ।
3. इस संविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट में निविदा के निर्देश और मार्गदर्शक सूचनांए,संविदा को शासित करने वाले नियम शर्ते तथा म0प्र0 स्थित प्रदाय केंद्रों,जहाँ नमक का भंडारण किया जा है,का विवरण दिया गया है । निविदाकारों से अनुरोध हैं कि कृपया इन दस्तावेजों को भली भांति पढने और समझने के बाद के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें भरे । निविदा फार्म में निर्धारित **<u>परिशिष्ट - छः (खण्ड अ एवं ब)</u>**में साफ-साफ शब्दों व अंकों में से अंकित करें ।
4. निविदाकार से यह भी अनुरोध है कि निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके लिए **<u>सील सहित हस्ताक्षर</u>** करें । निविदा सूचना को प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म कारपोरेशन मुख्यालय भोपाल में निविदा सूचना में प्रकाशित स्थान में दर्शाई गई तारीख एवं समय तक प्राप्त होने पर ही आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित किए जा सकेंगे । प्राप्त निविदांए निविदा सूचना में निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जाएगी । निविदांए खोलेने के समय निविदाकार स्वयं या उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उपस्थित हो सकेगें । **<u>डाक द्वारा प्रेषित निविदा उसी दशा में स्वीकार की जा सकेगी जब वे मुख्यालय में दर्शित दिनांक तथा समयावधि में ही प्राप्त हो जावें ।</u>**
5. इस उदबोधन सहित,निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनांए,संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्ते,निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस आयोडीनयुक्त नमक क्रय संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्व रहने के लिए बाध्य होगा ।

आई.एस.आई. मार्का आयोडीनयुक्त नमक क्रय हेतु निम्न बिन्दु विशेष ध्यान देने योग्य है-

(अ) निविदा में उपयुक्त दरें प्राप्त न होने पर निविदा के मात्र वैघ प्रथम न्यूनतम निविदाकारों से निविदा में प्राप्त दरों पर आवश्यकतानुसार निगोसियेशन किया जा सकेगा । यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदा मे युक्तिसंगत दरें प्राप्त नहीं हुई तो कारपोरेशन को यह अधिकार रहेगा कि निविदा में प्राप्त दरों की न्यूनता के क्रम अनुसार अन्य संबंधित निविदाकारों को क्रास आफर देकर सहमत कराने की कार्यवाही करें ।

(ब) निविदाकर्त्ता निविदा के साथ ही वांछित आवश्यक दस्तावेज यथा एक किलोग्राम नमक एवं पॉलीपैक का सेंपल, अमानत राशि, फर्म का पंजीयन, नमक आयुक्त द्वारा जारी जीवित पंजीयन, इनकम टैक्स रिटर्न/पेन PAN नंबर, आई.एस.आई. मार्का का प्रमाण पत्र/पंजीयन आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करें । उक्त वांछित आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी/विचार योग्य नहीं होगी ।

(स) निविदा में दरें दो पृथक-पृथक खण्डों के लिए आमंत्रित की जाती है । खण्ड इस प्रकार हैः-

01.	**प्रथम खण्ड**	**अप्रैल 09 से जून 09 तथा जनवरी 10 से मार्च 10 तक**
02.	**द्वितीय खण्ड**	**जुलाई 09 से दिसम्बर 09**

(द) आयोडिनयुक्त नमक क्रय हेतु निविदा म0प्र0 स्थित परिशिष्ठ 04 में दर्शित 19 जिलों के 42 प्रदाय केन्द्र/गोदामों पर (एफ0ओ0आर0) पहुंचाकर देने की दर चाही गई हैं ।

(य) निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्णरूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य हैं । कृपया इसका विशेष ध्यान रखें ।

(र) निविदादाता को आयोडीनयुक्त नमक पूर्ति का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित परिशिष्ठ एवं दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन कर कारपोरेशन के वृहद जन उपयोगी और व्यवसायिक कार्यो में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत करें ।

महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0
मुख्यालय-भोपाल

// निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्टों का विवरण //

निविदा दस्तावेज के साथ निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न है जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जाए एवं समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जाऐंगे ।

परिशिष्ट - एक	इस परिशिष्ट में आयोडीनयुक्त नमक क्रय निविदा संबंधी प्रक्रिया एवं निविदा हेतु परिभाषांए दर्शित हैं ।
परिशिष्ट - दो	इस परिशिष्ट में प्रदाय किए जाने वाले आयोडीनयुक्त आई.एस.आई. मार्का नमक से संबंधित निविदा के नियम एवं शर्ते उल्लेखित है ।
परिशिष्ट - तीन	इस परिशिष्ट में आयोडीनयुक्त आई.एस.आई. मार्का नमक के गुणवत्ता, सुपुदर्गी एवं भुगतान संबंधी शर्ते तथा नियम का उल्लेख किया गया है ।
परिशिष्ट - चार	इस परिशिष्ट में मध्यप्रदेश स्थित प्रदाय केंद्र / गोदाम का विवरण,जहाँ आयोडिनयुक्त नमक की पूर्ति किया जाना है, की जानकारी दी गई है ।
परिशिष्ट - पांच	इस परिशिष्ट में निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण चाहा गया है ।
परिशिष्ट - छः	इस परिशिष्ट में मध्यप्रदेश स्थित विभिन्न प्रदाय केंद्रो पर आई.एस.आई. मार्का आयोडीनयुक्त नमक की प्रदाय दर प्रति क्वि0 (एफ0ओ0आर0)चाही गई है ।
परिशिष्ट - सात	इस परिशिष्ट में आयोडीनयुक्त नमक क्रय संबंधी अनुबंध पत्र का प्रारूप है जो कि सफल निविदाकारों द्वारा रू0 100/- के नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित किया जाएगा ।

समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त उल्लेखित समस्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत मान्य हो सकें ।

महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0
मुख्यालय-भोपाल

<u>परिशिष्ठ - एक</u>

<u>आयोडीनयुक्त (आई0एस0आई0 मार्का) नमक क्रय की निविदा संबंधी प्रक्रिया एवम् परिभाषाएं</u>

(अ) मुहरबंद निविदा- निविदा निम्नानुसार दो पृथक-पृथक लिफाफों में प्रस्तुत किया जाना है -

01 **प्रथम लिफाफा टेक्नीकल बिड (TECHNICAL BID)**

इच्छुक नमक निर्माताओं जिन्हें वांछित अवधि का आई.एस.आई. मार्का आयोडिनयुक्त नमक प्रदाय का अनुभव भी है द्वारा प्रथम लिफाफे में निम्न दस्तावेज/सामग्री संलग्न/प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैं । लिफाफे पर स्पष्ट रूप से प्रथम लिफाफा टेक्नीकल बिड (TECHNICAL BID)लिखा जाना आवश्यक होगा ।

1.1 नमक का प्रतिनिधि सेम्पल(एक किलोग्राम का- निविदा खोलते समय प्रस्तुत करना होगा)

1.2 पॉलीपेक (60 माईक्रान का सेम्पल)

1.3 वांछित अमानत राशि का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक ।

1.4 निर्माता फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र (सत्यापित)

1.5 निर्माता द्वारा प्रदत्त नमक संबंधी **आई0एस0आई0 मार्का** गुणवत्ता का होने संबंधित प्रमाण पत्र/पंजीयन ।

1.6 नमक आयुक्त द्वारा प्रदत्त जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जो नोटरी से सत्यापित हों ।

1.7 इनकम टैक्स/ PAN क्रमांक एवं अंतिमतः दाखिल रिटर्न की छायाप्रति ।

1.8 नमक निर्माता व उसके प्रदाय का न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव का वांछित प्रमाण पत्र।

1.9 कारपोरेशन के वेब साईट से डाउनलोड करने की स्थिति में निर्धारित टेंडर फॉर्म की राशि के मूल्य का ड्राफ्ट अथवा मनी रसीद ।

1.10 निविदाकार का उत्पादक होना तथा उत्पादन अनुज्ञप्ति (क्षमता सहित)।

02. **<u>द्वितीय लिफाफा- प्राइस बिड (PRICE BID)</u>**

2.1 निविदादाता निविदा फार्म में दरें भरकर द्वितीय सीलबंद लिफाफे में जिस पर प्राईज बिड (PRICE BID) लिखा हो प्रस्तुत करेगा । दरें साफ-साफ अक्षरों में अंको तथा शब्दों में प्रति क्विं0 की भरी जाना हैं ।

2.2 ऐसे निविदाकार जिनके द्वारा टेक्नीकल बिड में आवश्यक पूर्तियॉ नहीं की जाती है, उनकी प्राइस बिड नहीं खोली जाएगी एवं निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा ।

03. फैक्स कोरियर अथवा खुले (बिना सीलबंद) लिफाफा में प्राप्त निविदा पर विचार नहीं होगा । निविदा साफ एवं स्पष्ट रूप से भरी जाए । निविदा दस्तावेज प्रपत्र में किसी प्रकार की ओव्हर राइटिंग मान्य नहीं की जाएगी । कांट-छांट होने की स्थिति में उस पर **<u>निविदाकार के पूर्ण हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं ।</u>**

02. अर्नेस्ट मनीः-

निविदा के साथ रूपए 2,00,000/- (रूपए दो लाख मात्र) की अमानत राशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 भोपाल के पक्ष में भोपाल शाखा पर देय संलग्न करना अनिवार्य है ।

03 निविदा में हस्ताक्षर

- निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पूरा नाम,पूरा पता एवं हैसियत (जैसे - स्वामी/ भागीदार/ कंपनी सचिव/ प्रबंध संचालक/ मुख्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया) उसका उल्लेख करना अनिवार्य है । निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है तो इस संबंध में **मूल पॉवर आफ एटार्नी** दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । मूल पावर आफ एटार्नी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा । अगर कंपनी/फर्म / समिति द्वारा पावर ऑफ एटार्नी जारी की जाती है तो पॉवर ऑफ एटार्नी दस्तावेज पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म / कंपनी / समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील होना अनिवार्य है । निविदा दस्तावेज मूल प्रति में प्रस्तुत किया जावेगा एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ।

- निविदा प्रपत्र में निविदाकर्ता अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें । निविदाकार को आयोडीनयुक्त नमक मध्यप्रदेश में प्रेषण के दौरान आवश्यक परमिट इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी । कारपोरेशन किसी प्रकार के कर भुगतान या अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होगा ।

04 निविदा दर प्रस्तुत करने के संबंध में -

- आयोडीनयुक्त नमक क्रय हेतु निविदा म0प्र0 स्थित परिशिष्ठ 4 पर अंकित 19 जिलों के 42 प्रदाय केन्द्र/ गोदामों पर (एफ.ओ.आर.) पहुंचाकर देने की दर चाही गयी हैं । प्रदाय दर प्रति क्विंटल अंकों एवं शब्दों में पृथक-पृथक लिखकर परिशिष्ठ 06 के खण्ड " अ " तथा " ब " में प्रस्तुत करें । निविदा दर प्रस्तुत करने के पूर्व मध्यप्रदेश के सड़क मार्ग को देखते हुए दरें प्रस्तुत करें जो बाद में परिवर्तनीय नहीं होगी।

05 अमानत/जमानत राशि जमा करने के संबंध में -

निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने की दशा में सात दिवस की समयावधि में रू0 8.00 लाख् (रू0 आठ लाख मात्र) की जमानत राशि जमा कर कारपोरेशन के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा । जमानत राशि किसी **राष्ट्रीयुक्त बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एम0पी0 स्टेट सिविल सप्लाईज् कारपोरेशन लि0 भोपाल** के नाम से जमा किया जाना होगा ।

06 आई.एस.आई. मार्का आयोडीनयुक्त नमक क्रय की मात्रा

नमक की प्रतिमाह लगभग 2677 मे0टन की आवश्यकता होगी तथा नमक प्रदाय हेतु क्रमिक रूप से आवश्यकतानुसार वांछित मात्रा के नमक प्रदाय के आदेश दिए जा सकते हैं जिसकी पूर्ति करने हेतु बाध्यता अनुबंधित प्रदायकर्त्ता/निर्माता की रहेगी । उक्त मात्रा कम या अधिक भी हो सकती हैं ।

निगम मुख्यालय से लगभग अनुमानित प्रतिमाह प्रदाय मात्रा की जानकारी यदि प्रदायकर्त्ता/ निर्माता चाहे तो प्राप्त कर सकता है किंतु वास्तविक मात्रा लगभग 50 प्रतिशत सीमा तक कम या अधिक भी हो सकती है । संविदा की अवधि के दौरान किसी निश्चित मात्रा में आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय आदेश देने की गारण्टी नहीं दी जा सकती है । जब-जब आयोडीनयुक्त नमक की आवश्यकता होगी वह यथा संभव प्रदाय हेतु निर्देश / आदेश प्रदायकर्त्ता/ निर्माता को सौंपा जाएगा । यदि कभी कोई आयोडीनयुक्त नमक क्रय आदेश अथवा नमक क्रय की मात्रा कम या अधिक रही तो इसके लिए प्रदायकर्त्ता/ निर्माता कारपोरेशन को या उसके विरूद्व कोई दावा नहीं कर सकेगा एवं कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

संविदा के पक्षकार नमक प्रदायकर्त्ता/निर्माता एवं मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड है ।

07. प्रदायकर्त्ता की जानकारी प्रेषण की व्यवस्था - दैनिक प्रदाय नमक की केन्द्रवार जानकारी फैक्स द्वारा सूचित करना अनिवार्य होगा ताकि प्रत्येक केन्द्र की तत्कालिक आवश्यकता की स्थिति का आंकलन हो सकें ।

08 निविदा स्वीकार करने संबंधी

कारपोरेशन को आयोडीनयुक्त नमक प्रदायकर्ता हेतु किसी भी निविदा को बिना किसी कारण के मान्य / अमान्य / पूर्ण अथवा आंशिक रूप से मान्य करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित है ।

09 संविदा में स्पष्टतः अंकित अवधि के उपरान्त भी कारपोरेशन के पास पूर्णतः यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह बिना कोई कारण बताएं उक्त संविदा को किसी भी समय एक पक्षीय रूप से निर्धारित समयावधि के पूर्व निरस्त कर सकेगा ।

परिशिष्ट - एक

(ब) आयोडीनयुक्त नमक(आई0एस0आई0 मार्का) निविदा हेतु परिभाषाएं

01. **आयोडीनयुक्त नमक** - इसका तात्पर्य प्रदाय किया जाने वाला नमक पी0एफ0ए0 एक्ट के अंतर्गत निर्धारित मानक स्तर का शुद्ध, सफेद रवेदार, नमी रहित तथा पैकिंग के समय आयोडीन की मात्रा 50 पी0पी0एम0 गुणवत्ता का होना चाहिए एवं 06 माह की अवधि तक न्यूनतम 30 पी0पी0एम0 गुणवत्ता होना अनिवार्य हैं । प्रदाय किया जाने वाला नमक आई0एस0आई0 मार्का का होना आवश्यक हैं ।

02 **निविदा दस्तावेज-** इसका आशय आई.एस.आई. मार्का आयोडीनयुक्त नमक क्रय निविदा हेतु जारी निविदा सूचना के संदर्भ में निविदाकार द्वारा कार्यालय से विधिवत क्रय किया गया दस्तावेज अथवा कारपोरेशन के वेब साईट से डाउन लोड करके निर्धारित शुल्क जमा कर/डिमांड ड्राफ्ट संलग्नयुक्त निविदा फॉर्म हैं ।

03. **संविदा-** इसका तात्पर्य यह है कि निविदा बुलाना, निविदा प्रक्रिया तथा निविदा में उल्लेखित निर्देश निविदा संबंधी दस्तावेज, अनुबंध एवं शेडयूल के अंतर्गत स्वीकार करना एवं निविदा से संबंधित सामान्य एवं सभी शर्ते सम्मिलित होना ।

04. **निगम या कारपोरेशन** - इसका तात्पर्य म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज् कारपोरेशन लि0 भोपाल ।

05. **प्रबंध संचालक-** इसका तात्पर्य मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज् कारपोरेशन लि0 भोपाल जिनके प्रशासकीय नियंत्रण में क्रमशः मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज् कारपोरेशन लि0 भोपाल के व्यवसायिक संबंधी कार्य संपादित होना हैं ।

06. **विक्रेता** - ऐसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, समिति या संस्था जिसने इस संविदा में भाग लिया है। इस तात्पर्य के अंतर्गत व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था की ओर से विधिवत अधिकृत व्यक्ति भी मान्य होंगे ।

07 **निर्माता-** ऐसे आई.एस.आई. मार्का आयोडीनयुक्त नमक निर्माता कंपनी, जो नमक आयुक्त, भारत सरकार से पंजीकृत हो, जिसका पंजीयन जीवित हों ।

08. **दर-** प्रतिक्विंटल दर जो प्रदायकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गई तथा जिसे निगम द्वारा अंतरिम या अंतिम रूप से मान्य किया गया हैं ।

09. **अनुबंध-** आई.एस.आई. मार्का आयोडीनयुक्त नमक क्रय हेतु निगम एवं नमक प्रदायकर्त्ता/ निर्माता के बीच संविदा करार ।

परिशिष्ठ - दो

निविदा की नियम एवं शर्तेः-

मध्यप्रदेश में स्थित सभी 89 आदिवासी विकास खण्डों के सभी राशनकार्डधारियों को जो कि लगभग 26.77 लाख हैं, शासन की ओर से मात्र रू0 1/- के रियायती मूल्य पर आई.एस.आई मार्का आयोडिनयुक्त नमक 42 प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से विक्रय की योजना के तहत् वर्ष 2009 में नमक क्रय हेतु यह निविदा जारी की गई हैं ।

प्रदेश के सभी बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय राशनकार्डधारियों को, जो कि लगभग 66.76 लाख है, को प्रतिमाह के हिसाब से आई.एस.आई मार्क आयोडिनयुक्त नमक प्रदाय योजना राज्य शासन के समक्ष विचाराधीन हैं । भविष्य में यदि उक्त योजना के क्रियान्वयन के निर्देश प्राप्त होते है तो कारपोरेशन को लगभग 6676 मे0टन प्रतिमाह के मान से नमक संपूर्ण प्रदेश के लगभग 186 प्रदाय केन्द्रों पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता होगी तदनुसार वर्ष 2009 हेतु आहूत इस निविदा व्यवस्था में वर्तमान व्यवस्था को यथावत रखते हुए **युक्तियुक्त संशोधन करते हुए उन शेष बचे हुए 144 केन्द्रों की आवश्यकता के लिए लगभग 4000 मे0टन आई.एस.आई. मार्का आयोडिनयुक्त नमक के लिए नई निविदाएं आंमंत्रित की जा सकेंगी अथवा सभी 186 केन्द्रों के लिए नई निविदा आमंत्रित की जाएगी, जिसमें पूर्व में नियुक्त निविदाकार भी शामिल हो सकेंगे ताकि पूर्ण प्रदेश हेतु नमक व्यवस्था बनायी जा सकें। ऐसी स्थिति में कारपोरेशन को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी भी क्षण वर्तमान निविदा को या उसके रहते पूर्ण अथवा शेष मात्रा के लिए नई निविदा आमंत्रित कर सकेगा एवम् उसमें संशोधन करेगा या नवीन निविदा कारपोरेशन आमंत्रित कर सकेगा ।**

1 निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दरें निविदा दिनाँक से 180 दिवस तक वैध रहेगी जिसे मानने हेतु निविदाकार बाध्य रहेगा ।

2. निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वे निविदा भरने के पूर्व मध्यप्रदेश स्थित प्रदाय केंद्र सड़क/रेल मार्ग का भंलि भांति अवलोकन / परीक्षण करें । दरें भरने के पूर्व सभी पहलूओं पर अपनी संतुष्टी कर लेवें । निविदा भरने या खुलने के उपरांत इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण,मार्गदर्शन,विवाद मान्य नहीं होगा ।

3. आई.एस.आई. मार्का आयोडीनयुक्त नमक का क्रय निविदा में उल्लेखित क्रय मात्रांए आदि कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर हैं,जिसमें कारपोरेशन का यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि इसमें 50 प्रतिशत तक कमी/वृद्धि कर सकेगा ।

4. आई.एस.आई. मार्का आयोडीनयुक्त नमक का क्रय शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जाएगा । शासन की नीति अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी क्रय रोका जा सकता है । इससे अगर नमक निर्माता को किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी जवाबदारी निगम की नहीं होगी ।

5. प्राप्त दरो को स्वीकार या अस्वीकार करने का अतिंम अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा , तथा इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा । प्रदायकर्त्ता / नमक निर्माता की यह स्वंय की जिम्मेदारी होगी कि दरों में नमक प्रेषण करने हेतु समस्त जीवित तथा प्रचलित लायसेंस / परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज व संबंधित व्यय की व्यवस्था स्वयं करें । इसमें कारपोरेशन का कोई दायित्व नहीं होगा । दस्तावेज के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी प्रदायकर्त्ता / नमक निर्माता की होगी । प्रचलित लायसेंस/परमिट आदि दस्तावेजों को समय रहते नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा, अन्यथा संविदा भंग करने का अधिकार कारपोरेशन के पास सुरक्षित होगा ।

6. निविदा के साथ रू0 2.00 लाख (दो लाख मात्र) की अमानत राशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 के नाम से भोपाल शाखा पर देय संलग्न करना अनिवार्य है । निविदा स्वीकृत करने की दशा में सात दिवस की समयावधि में रू0 8.00 लाख (रू0 आठ लाख मात्र) की जमानत राशि कारपोरेशन के पक्ष में जमा कर अनुबंध निष्पादन करना होगा ।

7 निविदा में दरे दो पृथक-पृथक खण्डों के लिए आमंत्रित की जाती है । खण्ड इस प्रकार हैं-

01. प्रथम खण्ड अप्रैल 09 से जून 09 तथा जनवरी 10 से मार्च 10 तक
02. द्वितीय खण्ड जुलाई 09 से दिसम्बर 09

निविदाकार परिशिष्ठ 06 में दर्शित उपरोक्त दोनों खण्ड हेतु अपनी प्रति क्विं0 दरें प्रस्तुत करें ।

8. निविदा में उपयुक्त दरें प्राप्त न होने पर निविदा के मात्र वैध प्रथम न्यूनतम निविदाकारों से निविदा दरों पर आवश्यकतानुसार निगोसिएशन किया जा सकेगा तथा प्रथम वैध न्यूनतम निविदाकार को निगोसिएशन में अतिंम रूप से दरें प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाएगा। यदि उपरोक्त कार्यवाही के बाद भी निविदाकार से युक्तिसंगत दरें प्राप्त नहीं हुई तो कारपोरेशन को यह अधिकार रहेगा कि निविदा में प्राप्त दरों की न्यूनता के क्रम अनुसार अन्य संबंधित निविदाकारों को क्रास ऑफर देकर सहमत कराने की कार्यवाही करें ।

9. द्वितीय दरदाता निविदाकार से आपात स्थिति / प्रबंधन निर्देशानुसार आई.एस.आई. मार्का आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय के लिए अनुबंध निष्पादित कराया जाएगा । इस हेतु द्वितीय दरदाता निविदाकार को रू0 2.00 लाख (रू0 दो लाख मात्र) सांकेतिक अमानत राशि कारपोरेशन में 90 दिनों तक जमा रखना होगा । प्रबंधन के विवेकानुसार ऐसी स्थिति निर्मित होने पर जब द्वितीय दर दाता निविदाकार से उसकी द्वितीय न्यूनतम दर पर आई.एस.आई. मार्का आयोडीन युक्त नमक क्रय किया जावेगा तो यह कार्य प्रथम न्यूनतम दर दाता की रिस्क एंड कास्ट पर ही होगा ।

10. आई.एस.आई. मार्का आयोडीनयुक्त नमक क्रय निविदा म0प्र0 स्थित 42 प्रदाय केन्द्र/गोदामों पर (एफ0ओ0आर0) पहुंचाकर देने की दर चाही गई हैं । नए केन्द्र बनने/जुडने की दशा में निकटस्थ केन्द्र की दर पर नमक का प्रदाय करने हेतु प्रदायकर्त्ता बाध्य होगा ।

11. प्रदायकर्त्ता द्वारा जमा करायी गई किसी भी राशि पर तथा देयकों की लंबित राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।

12. निविदा भरते समय निविदाकार अपनी तरफ से किसी प्रकार की शर्ते/टीप आदि का प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नहीं करेगा । यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित की जा सकती है । अर्थात् सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।

13 प्रदाय आदेश दिए जाने पर निविदादाता/नमक निर्माता द्वारा निगम से आदेश प्राप्त होने पर निर्धारित आदेश में न्यूनतम 02 दिन व अधिकतम 10 दिन की समयावधि में आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय किया जाना होगा । यदि निश्चित समयावधि मे आदेशानुसार नमक की मात्रा प्रदाय नहीं की जाती है तो निगम द्वारा अन्य कार्यवाहियों पर प्रभाव डाले बिना किसी भी अन्य निर्माता/व्यक्ति/विक्रेता से नमक प्राप्त करने का अधिकार होगा व इस कार्यवाही में कोई हानि होती है तो वह हानि निविदादाता/अनुबंधित नमक निर्माता से वसूली की जावेगी ।

14. नमक प्रदायकर्त्ता का यह दायित्व होगा कि वह संग्रहण केन्द्रों पर भेजी गई प्रत्येक मात्रा की दैनिक जानकारी फैक्स के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करेगा ।

15. यदि अनुबंधित नमक प्रदायकर्त्ता /निर्माता कारपोरेशन द्वारा नमक प्रदाय आदेश के अनुसार नमक प्रदाय नहीं करता है तो कारपोरेशन को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को बिना रदद किए स्वतंत्र रूप से नमक निर्माता/भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी उद्यम/संस्था से अनुबंधित नमक निर्माता की जोखिम एंव खर्चो पर, नमक प्रदाय आदेश देने के 07 दिवस के बाद से आनुपातिक तौर पर नमक की पूर्ति करा लें । इस स्थिति में कारपोरेशन को हुई क्षति/हानि एंव खर्चो की पूर्ति स्वरूप स्वीकृत दर का 10 प्रतिशत या वास्तविक व्यय जो अधिक हो, अदा करने का समस्त उत्तरदायित्व अनुबंधित प्रदायकर्त्ता / नमक निर्माता का होगा ।

16. निविदा दर अनुबंध दिनांक से निर्दिष्ट अवधि के लिए मान्य होगी जो आगामी 06 माह (180 दिवस) तक बढायी जा सकती है, जो अनुबंधित नमक निर्माता को मान्य करना अनिवार्य होगा ।

17 किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाए निरस्त करने का एवं पूर्ण/आंशिक मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा ।

18. निविदाकार द्वारा संविदा के किसी भी कंडिका का उल्लंधन करने पर कारपोरेशन को पूर्णतः यह अधिकार होगा कि वे संविदा निरस्त करें तथा निविदाकार द्वारा जमा की गई अमानत तथा जमानत राशि को पूर्णतः राजसात कर लें ।

19 प्रदायकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत दरे निविदा खुलने की दिनांक से 180 दिवस तक वैध मान्य होगी ।

परिशिष्ट तीन

//गुणवत्ता, सुपुर्दगी एवम् भुगतान संबंधी नियम एवम् शर्ते //

1. यह आई.एस.आई. मार्का आयोडीनयुक्त नमक पैकिंग के समय 50 पी0पी0एम0 सांद्रता का होना चाहिए व 6 माह की समयावधि समाप्ति पर आयोडीन की न्यूनतम मात्रा 30 पी0पी0एम0 से कम नहीं होना चाहिए ।
2. प्रदाय किए जाने वाला नमक शुद्व,साफ,सफेद, रवेदार एवं नमी रहित पी.एफ.ए.एक्ट 1954 के अंतर्गत निर्धारित मानक स्तर तथा आई.एस.आई मार्का का होना चाहिए जिसके लिए नमक प्रदाय के दौरान सक्षम शासकीय प्राधिकारी से गुणवत्ता का प्रमाण पत्र प्रत्येक नमक कन्साइनमेंट के प्रेषण पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

3. नमक 01 किलोग्राम के नेट वजन 60 माईक्रॉन के पौलीपैक में प्रदाय किया जावेगा । एक किलोग्राम के पौलीपैक पर ब्रांडिंग का प्रारूप निगम द्वारा प्रदाय किया जावेगा ,जिसकी प्रिटिंग नमक प्रदायकर्त्ता कराएगा । प्रदाय नमक की ब्रांडिग/पैकिंग मल्टीकलर में होगी। पॉली फिल्म साफ एक समान टेक्सचर की, पारदर्शी मजबूत,बिना किसी प्रकार के छेद की न्यूनतम 60 माइक्रॉन स्तर की होगी । नमक की पैकिंग से संबंधित पॉलीपैक के प्रारूप नमूना निगम द्वारा दी गई डिजाईन में प्रिंट कराकर पैकिंग के पूर्व अनुमोदित कराना होगा व तत्पश्चात ही कारपोरेशन से सहमति मिलने पर वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही उसकी छपाई अच्छी किस्म की स्याही से प्रदायकर्ता के द्वारा कराई जावेगी एवम् नमक प्रदाय किया जावेगा । प्रदायकर्त्ता द्वारा अनुमोदित प्रारूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा । घटिया किस्म की स्याही का उपयोग न किया जाए, अन्यथा उस पर आने वाले व्यय का शत-प्रतिशत कटौत्रा किया जाएगा।राज्य में नमक की आपूर्ति वन्या नमक के नाम से आवश्यकतानुसार 1 किलो के पौलीपैक पर निर्धारित प्रारूप पर ब्राडिंग कर की जावेगी । वन्या नमक का पौलीपैक ट्रांसपरेंट होगा । न्यूनतम नियत आयोडीन की मात्रा नमक के लिए कालातित समयावधि (expiry date) मान्य की जाएगी । ऐसी कालातित समयावधि नमक के प्रदाय दिनांक से कम से कम 06 माह की अवधि के लिए शेष होना आवश्यक होगा ।

4. आयोडीनयुक्त नमक क्रय हेतु म0प्र0 स्थित 42 प्रदाय केन्द्र/गोदामों पर एफ0ओ0आर0 पहुंचाकर देने की दर चाही गई हैं ।

5. एक किलो ग्राम के वजन के पौलीपैक 50-50 की संख्या में नए एच.डी.पी.ई. बैग्स में पैक कर प्रदाय किए जाएगें । आयोडीन युक्त नमक परिवहन के दौरान प्रत्येक 10 टन वजन के मान से एक किलों भर्ती के 100 खाली पौलीपैक एवं 03 एच.डी.पी.ई. नए बैग्स भी रखे जाएगें जो कटी-फटी थैलियों के स्थान पर काम आ सके । उक्त पूर्ति न किए जाने की दशा में प्रति ,खाली पाली पैक रू0 1/- प्रति बैग एंव प्रति एच0डी0पी0ई0 बैग रू0 10/- के मान से कटौत्रा किया जावेगा ।

6. कारपोरेशन के अधिकृत व्यक्ति/ अधिकारी को प्रदायकर्त्ता / नमक निर्माता के कारखाने / गोदाम आदि स्थानों पर नमक की पिसाई,पैकिंग,किस्म , मात्रा आदि के निरीक्षण आदि का अधिकार होगा । निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो आदेश निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा ।

7. प्रदायकर्त्ता /नमक निर्माता द्वारा आयोडीनयुक्त नमक के प्रदाय संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर कारपोरेशन प्रदायकर्त्ता /निविदादाता का अनुबंध समाप्त करने, अनुबंध के साथ जमा अमानत/जमानत राशि अपने पक्ष में राजसात करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

8. यदि प्रदाय किया गया आई.एस.आई. मार्का आयोडिनयुक्त नमक एंव पैकिंग मटेरियल, छपाई की स्याही उपयुक्त गुणवत्ता व मानक स्तर के नहीं पाए जाते है या या डिजाईन में प्रयुक्त शाब्दिक सामग्री में कोई परिवर्तन होता है तो कारपोरेशन भुगतान अस्वीकृत करने के साथ-साथ अनुबंध एक पक्षीय रूप से समाप्त करते हुए अमानत/जमानत राशि राजसात कर सकेगा ।

9. अनुबंधित नमक प्रदायकर्त्ता / निर्माता द्वारा प्रदाय आदेश अनुरूप जिलों मे नमक प्रदाय उपरांत भुगतान हेत प्रस्तुत देयकों के साथ ट्रक चालान, तौल पत्रक की प्रति, गुणवत्ता का प्रमाणीकरण, डिप्टी सॉल्ट कमिश्नर/चल प्रयोगशाला से अधिकृत सर्वेयर की रिपोर्ट एवं प्राप्तकर्त्ता जिले से नमक प्राप्त की पावती (निर्धारित प्रारूप में जिसकी प्रति मुख्यालय के नमक कक्ष में उपलब्ध है)निगम के भोपाल स्थित मुख्यालय में प्रस्तुत करेगा । निगम को नियमों/पूर्तियों के अनुरूप प्राप्त आयोडीनयुक्त नमक से संबंधित देयकों का 90 प्रतिशत राशि का भुगतान, वांछित दस्तावेजों सहित देयक प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 10 कार्यशील दिवस की अवधि में और शेष 10 प्रतिशत का भुगतान संबंधित जिला प्रबंधको से निगम मुख्यालय को नमक प्राप्ति की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अपने स्त्रोतों से संतुष्ट होने के पश्चात् मुख्यालय स्तर से किया जाएगा ।

10. वास्तविक रूप से प्रदाय किए गए नेट नमक के वजन/संख्या (साउण्ड बैग्स की)/उत्तम गुणवत्ता के आधार पर भुगतान होगा । नमक के बैग्स कटे-फटे होने की दशा में नमक प्राप्ति स्थल पर शत-प्रतिशत तौलकर जमा कराया जावेगा । ऐसे समस्त प्रकार की तौल व्ययों के भुगतान की जिम्मेदारी निर्माता/निविदाकार की होगी ।

11. कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत अनुबंधित प्रदायकर्त्ता / नमक निर्माता के साथ अनुबंध के रहते हुए भी कारपोरेशन नमक प्रदाय हेतु ऐसे अन्य उपाय/व्यवस्था को नियुक्त कर सकता है जो नमक प्रदाय आदेश को निर्बाद्ध और गति पूर्ण करने के लिए आवश्यक है इस मामले में प्रबंधन को पूरे अधिकार होंगे कि वह नियुक्त अनुबधित नमक निर्माता के साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से ऐसी समानांतर व्यवस्था से नमक की पूर्ति करावें । इसके अलावा भी प्रबंधन को सर्वाधिकार होंगे तथा अनुबंधित प्रदायकर्त्ता / नमक निर्माता की आपत्ति इस व्यवस्था के लिए मान्य नहीं होगी । यदि कारपोरेशन चाहे तो किसी अन्य अनुबंधित नमक प्रदायकर्त्ता को पूर्ण अथवा आंशिक नमक प्रदाय के आदेश कर सकता है । इसमे नियुक्त अनुबंधित प्रदायकर्त्ता /नमक निर्माता की कोई आपत्ति/क्षतिपूर्ति मान्य नहीं होगी ।

12. अनुबंध के अवधि में प्रदायकर्त्ता /नमक निर्माता के द्वारा रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख मात्र) की राशि अमानत/जमानत के रूप से जमा करना होगा जो संतोषजनक कार्य समाप्ति के पश्चात् अनुबंध समाप्ति होने व सभी देयकों का भुगतान होने पर बिना ब्याज के वापस की जाएगी ।

13. यह कि प्रदायकर्त्ता /नमक निर्माता द्वारा प्रदाय किया जाने वाला नमक सफेद शुद्ध साफ, नमीरहित एवं पी0एफ0ए0 एक्ट के अंतर्गत आई0एस0आई0 मार्का स्तर का 50 पी0पी0एम0 को होना चाहिए । इससे भिन्न स्पेशिफिकेशन होने पर या यदि प्रदाय किए गए नमक पी0एफ0ए0 एक्ट के अंतर्गत मानक स्तर से अधिक नमी का पाया जाता है या 50 पी0पी0एम0 एंव 06 माह तक की अवधि हेतु न्यूनतम 30 पी0पी0एम0 के मानक स्तर का नहीं पाया जाता है तो ऐसा नमक स्कंध अस्वीकार कर दिया जाएगा । ऐसे अस्वीकृत (rejected) नमक को संबंधित गोदाम/प्रदाय केन्द्र/स्थान से अस्वीकृत किए जाने के दिनांक से अधिकतम 30 दिवस के भीतर अपने व्यय पर प्रदायकर्त्ता को वापस उठाना होगा । ऐसे अस्वीकृत नमक पर होने वाले समस्त प्रकार के व्यय/हर्जे खर्चे यथा भंडारण चार्जेस लोडिंग/अनलोडिंग इत्यादि की प्रतिपूर्ति प्रदायकर्त्ता द्वारा कारपोरेशन को की जानी होगी या स्वंय को व्यय वहन करना होगा ।

प्रदायकर्त्ता को निगम द्वारा सूचित किए जाने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर अमान्य (rejected) स्कंध उठाना अनिवार्य होगा । यदि प्रदायकर्त्ता ऐसे नमक को उठाने में चूक करता है तो ऐसे अस्वीकृत नमक का निराकरण करने हेतु कारपोरेशन को यह अधिकार होगा कि वह निलामी अथवा अन्य तरीके से निराकृत कर दें । जिसकी संपूर्ण जवाबदेही प्रदायकर्त्ता की होगी। इस संबंध में प्रदायकर्त्ता/निर्माता की म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज् कारपोरेशन लि0 के विरूद्ध कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी । ऐसे अस्वीकृत नमक के विरूद्ध किसी भी राशि का भुगतान प्रदायकर्त्ता को नहीं किया जाएगा । प्रदायकर्त्ता का यह दायित्व होगा कि वे कारपोरेशन को ऐसी स्थिति में होने वाली समस्त हानियों की प्रतिपूर्ति करें । परंतुं, ऐसी कार्यवाही में कारपोरेशन को यदि लाभ होना है तो उस पर प्रदायकर्त्ता का कोई अधिकार नहीं होगा । कारपोरेशन को यह अधिकार होगा कि ऐसे नमक के निराकरण पर होने वाले समस्त हर्जे खर्चे की अंतर की राशि प्रदायकर्त्ता के देयकों/बिलों से समायोजित कर लें ।

14, प्रदाय आदेश में निर्धारित समयावधि में निर्दिष्ट मात्रा में नमक का प्रदाय करना अनिवार्य होगा अन्यथा विलंबित मात्रा के मूल्य के 5 प्रतिशत शास्ति अधिरोपित की जाकर देयकों से कटौत्रा किया जाएगा ।

15 मध्यप्रदेश में स्थित सभी 89 आदिवासी विकास खण्डों के सभी राशनकार्डधारियों को जो कि लगभग 26.77 लाख हैं, शासन की ओर से मात्र रू0 1/- के रियायती मूल्य पर आई.एस.आई मार्क आयोडिनयुक्त नमक 42 प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से विक्रय की योजना के तहत् वर्ष 2009 में नमक क्रय हेतु यह निविदा जारी की गई हैं ।

प्रदेश के सभी बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय राशनकार्डधारियों को, जो कि लगभग 66.76 लाख है, को प्रतिमाह के हिसाब से आई.एस.आई मार्क आयोडिनयुक्त नमक प्रदाय योजना राज्य शासन के समक्ष विचाराधीन हैं । भविष्य में यदि उक्त योजना के क्रियान्वयन के निर्देश प्राप्त होते है तो कारपोरेशन को लगभग 6676 मे0टन प्रतिमाह के मान से नमक संपूर्ण प्रदेश के

लगभग 186 प्रदाय केन्द्रों पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता होगी तदनुसार वर्ष 2009 हेतु आहूत इस निविदा व्यवस्था में वर्तमान व्यवस्था को यथावत रखते हुए **युक्तियुक्त संशोधन करते हुए उन शेष बचे हुए 144 केन्द्रों की आवश्यकता के लिए लगभग 4000 मे0टन नमक के लिए नई निविदाएं आंमंत्रित की जा सकेंगी अथवा सभी 186 केन्द्रों के लिए नई निविदा आमंत्रित की जाएगी, जिसमें पूर्व में नियुक्त निविदाकार भी शामिल हो सकेंगे ताकि पूर्ण प्रदेश हेतु नमक व्यवस्था बनायी जा सकें। ऐसी स्थिति में कारपोरेशन को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी भी क्षण वर्तमान निविदा को या उसके रहते पूर्ण अथवा शेष मात्रा के लिए नई निविदा आमंत्रित कर सकेगा एवम् उसमें संशोधन करेगा या नवीन निविदा कारपोरेशन आमंत्रित कर सकेगा ।**

16. **विवादों का निराकरण-**

16.1 इस निविदा से संबंधित तथा अनुबंध से संबंधित किसी भी विषय, शर्त एवं किसी भी शर्त की व्याख्या आदि से संबंधित इस अनुबंध के पूर्व अथवा इस अनुबंध एंव निविदा के पालन के समय अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न हुए किसी भी विवाद की स्थिति में कारपोरेशन के प्रबंध संचालक का निर्णय एवम् व्याख्या अंतिम एवम बंधनकारी होगी ।

16.2 किसी भी प्रकार के न्यायालयीन विवाद होने की दशा में न्यायालय का क्षेत्राधिकार भोपाल (मध्यप्रदेश) स्थित न्यायालय रहेगा ।

परिशिष्ठ - चार

जिलों में स्थित प्रदाय केन्द्र/गोदाम की सूची

क्रमांक	जिले का नाम	क्रमांक	जिले से संबंद्ध केन्द्र जहां नमक की पूर्ति की जाना हैं
1	श्योपुर	1.	श्योपुर
2	रतलाम	2.	सेलाना
3	धार	3.	धार
		4.	राजगढ़
		5.	मनावर
		6.	धामनोद
		7.	कुक्षी
4	झाबुआ	8.	झाबुआ
		9.	अलीराजपुर
		10.	जोबट
		11.	पेटलावद
		12.	मेधनगर
5	खगौन	13.	खरगोन
		14.	भीकनगांव
		15.	करही
6	खण्डवा	16.	खालवा
7	बढ़वानी	17.	बडवानी
		18.	अंजड
		19.	पानसेमल
		20.	सेंधवा
8	बुरहानपुर	21.	बुरहानपुर
9	बैतूल	22.	बैतूल
		23.	आठनेर
		24.	भेसदेही
10	होशंगाबाद	25.	केसला
11	छिन्दवाड़ा	26.	छिन्दवाड़ा
12	सिवनी	27.	सिवनी
		28.	लखनादौन
13	मण्डला	29.	मण्डला
		30.	बिछिया
		31.	निवास
		32.	नैनपुर
14	डिंडोरी	33.	डिंडोरी

15	बालाघाट	34.	बैहर
16	शहडोल	35.	शहडोल
		36.	बुढांर
		37.	जयसिंहनगर
17	अनूपपुर	38.	अनूपपुर
		39.	कोतमा
		40.	पुष्पराजगढ़(राजेन्द्रग्राम)
18	उमरिया	41.	उमरिया
19	सीधी	42.	मंझोली

परिशिष्ठ पॉच

निविदाकार फोटो चिपकाए

// निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

प्रेषक,

....(नमक निर्माता का नाम एवं पूर्ण पता)
....
....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपो0लि0,
भोपाल (मध्यप्रदेश)

प्रिय महोदय,

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कारपो0लि0 द्वारा मध्यप्रदेश स्थित विभिन्न प्रदाय केंद्रों / गोदामों में आयोडीनयुक्त नमक (आई.एस.आई.मार्का) क्रय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने / मैंने निगम के मुख्यालय में.रसीद नंबर.....................................दिनाँक........................को रूपए............................जमाकर यह निविदा फार्म क्रय किया है । हमने / मैंने निविदा के आमंत्रण में दिए गए निर्देशों / निविदा/संविदा शर्तो,नियमों तथा इसके परिशिष्टों में दिए गए विवरण को भली भोंति पढ़ लिया है,उनको समझ लिया हैं तथा हम / मैं उनके पालन के लिए सहमत हैं / हूॅ तथा बाध्य हूं ।

2. हम/मै आई.एस.आई. मार्का आयोडीनयुक्त नमक मध्यप्रदेश राज्य स्थित विभिन्न प्रदाय केंद्रों में एफ0ओ0आर0 (लोडिंग अनलोडिंग एवं स्टेकिंग सहित) दरें समस्त करों सहित पहुंचाकर देने संबंधि प्रकाशित निविदा के तारतम्य में यह निविदा भर रहे हैं । हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार हैः-

01. निविदाकार का नाम व पता ....
....
....

02.	दूरभाष क्रमांक कार्यालय/इंडस्ट्री, मोबाईल नंबर	....
03.	निविदाकार की संस्था का स्वरूप (फर्म/कंपनी/ स्वामित्व/हिंदु अविभाजित परिवार आदि)	....
04.	मुखिया (कर्ता)का नाम व पता	....
05.	यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदार के नाम/पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	....
06.	कंपनी का पंजीयन क्र0 तथा दिनांक (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	....
07	फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें)	....
08.	आई.एस.आई. कार्यालय की अनुज्ञप्ति (जीवित प्रमाण पत्र)	....
09.	साल्ट कमिश्नर द्वारा जीवित पंजीकृत पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें)	....
10.	अघतन/अंतिम आयकर रिटर्न तथा पैन की सत्य प्रति संलग्न करें	....
11	बैंकर का नाम शाखा सहित(खाता क्रमांक लिखें)	....
12	आयोडीनयुक्त नमक निर्माता का कार्य अनुभव कितने वर्षो का है(प्रमाण पत्र संलग्न करें)	....
13.	वर्तमान में मुख्यतः किन प्रतिष्ठित संस्था में नमक प्रदाय कर रहे है, विवरण दें तथा ऐसी संस्था का नाम तथा दो वर्ष का आयोडीनयुक्त नमक आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें ।.	....
14	निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण	....
	रूपये	....
	बैंक ड्राफ्ट नंबर	....
	बैंक का नाम	....
	दिनांक	....
15.	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची	....

01

02

03

04

05

06

07

3. हमें/मुझे निविदा फॉर्म में उल्लेखित की गई दरें निविदा खुलने की तारीख से 180 दिन तक तथा परिशिष्ठ दो के बिन्दु क्रमांक 18 मे वर्णित स्थिति अनुसार वैध रहेगी, जिसे मानने के लिए हम/मै बाध्य रहेंगे/रहूंगा/रहूंगी ।
4. यदि निगम द्वारा हमें/मुझे आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय का कार्य सौंपा जाता है तो हम/मै निर्धारित अवधि में नियमानुसार जमानत राशि जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत हैं/हूं ।
5. हम/मै इसके द्वारा घोषित करते है/करता हूं कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्ठो में की गई प्रविष्ठियॉ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही हैं ।

दिनांक

हस्ताक्षर...
नाम..
कंपनी/फर्म का नाम..
पूरा पता...
हैसियत..
मुहर/सील...

नोट - इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रुप से भरें एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टी अति आवश्यक है । अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।

परिशिष्ट - छः

(अ) प्रथम खण्ड- अवधि मार्च 09 से जून 09 तथा जनवरी 10 से मार्च 10 तक

आयोडीनयुक्त नमक पी0एफ0ए0 अनुसार आई0एस0आई0 मार्का प्रदाय की दर

क्रमांक	जिले का नाम	क्रमांक	जिले से संबंद्ध केन्द्र जहां नमक की पूर्ति की जाना हैं	आवंटन/संभावित मात्रा	दर रूपये प्रति क्विंटल	
					अंको में	शब्दों में
1	श्योपुर	1	श्योपुर	27		
2	रतलाम	2	सेलाना	55		
3	धार	3	धार	119		
		4	राजगढ़	59		
		5	मनावर	91		
		6	धामनोद	38		
		7	कुक्षी	85		
4	झाबुआ	8	झाबुआ	100		
		9	अलीराजपुर	104		
		10	जोबट	58		
		11	पेटलावद	53		
		12	मेधनगर	68		
5	खरगौन	13	खरगौन	180		
		14	भीकनगांव	78		
		15	करही	56		
6	खण्डवा	16	खालवा	37		
7	बड़वानी	17	बडवानी	66		
		18	अंजड	78		
		19	पानसेमल	74		
		20	सेंधवा	53		
8	बुरहानपुर	21	बुरहानपुर	44		
9	बैतूल	22	बैतूल	196		
		23	आठनेर	26		
		24	भेसदेही	32		
10	होशंगाबाद	25	केसला	31		
11	छिन्दवाड़ा	26	छिन्दवाड़ा	106		

12	सिवनी	27	सिवनी	57		
		28	लखनादौन	96		
13	मण्डला	29	मण्डला	82		
		30	बिछिया	44		
		31	निवास	13		
		32	नैनपुर	28		
14	डिंडोरी	33	डिंडोरी	129		
15	बालाघाट	34	बैहर	46		
16	शहडोल	35	शहडोल	85		
		36	बुढांर	39		
		37	जयसिंहनगर	37		
17	अनूपपुर	38	अनूपपुर	46		
		39	कोतमा	12		
		40	पुष्पराजगढ़(राजेन्द्र ग्राम)	18		
18	उमरिया	41	उमरिया	20		
19	सीधी	42	मंझोली	11		
			योग	2677		

उपरोक्तानुसार दरें (एफ0ओ0आर0 एवं समस्त करों सहित) मेरे/हमारे द्वारा भरी गई है ।

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....
नाम ....
फर्म का नाम ....
पूरापता ....
हैसियत ....
मूहर

नोट-

01. जिलों /केन्द्रों की संख्या एव परस्पर संबंद्धता परिवर्तशील हैं । इसे लेकर किसी प्रकार की क्षति पूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा ।

02 नए केन्द्र जुडने की स्थिति में निकटस्थ केन्द्र की दरें मान्य होगी ।

परिशिष्ट - छः

(ब) द्वितीय खण्ड अवधि जुलाई 2009 से दिसम्बर 2009 तक

आयोडीनयुक्त नमक पी0एफ0ए0 अनुसार आई0एस0आई0 मार्का प्रदाय की दर

क्रमांक	जिले का नाम	क्रमांक	जिले से संबंद्ध केन्द्र जहां नमक की पूर्ति की जाना हैं	आवंटन/संभावित मात्रा	दर रूपये प्रति क्विंटल	
					अंको में	शब्दों में
1	श्योपुर	1	श्योपुर	27		
2	रतलाम	2	सेलाना	55		
3	धार	3	धार	119		
		4	राजगढ़	59		
		5	मनावर	91		
		6	धामनौद	38		
		7	कुक्षी	85		
4	झाबुआ	8	झाबुआ	100		
		9	अलीरापुर	104		
		10	जोबट	58		
		11	पैटलावद	53		
		12	मेधनगर	68		
5	खरगौन	13	खरगौन	180		
		14	भीकनगांव	78		
		15	करही	56		
6	खण्डवा	16	खालवा	37		
7	बड़वानी	17	बडवानी	66		
		18	अंजड	78		
		19	पानसेमल	74		
		20	सेंधवा	53		
8	बुरहानपुर	21	बुरहानपुर	44		
9	बैतूल	22	बैतूल	196		
		23	आठनेर	26		
		24	भेसदेही	32		
10	होशंगाबाद	25	केसला	31		
11	छिन्दवाड़ा	26	छिन्दवाड़ा	106		

12	सिवनी	27	सिवनी	57		
		28	लखनादौन	96		
13	मण्डला	29	मण्डला	82		
		30	बिछिया	44		
		31	निवास	13		
		32	नैनपुर	28		
14	डिंडोरी	33	डिंडोरी	129		
15	बालाघाट	34	बैहर	46		
16	शहडोल	35	शहडोल	85		
		36	बुढांर	39		
		37	जयसिंहनगर	37		
17	अनूपपुर	38	अनूपपुर	46		
		39	कोतमा	12		
		40	पुष्पराजगढ़(राजेन्द्र ग्राम)	18		
18	उमरिया	41	उमरिया	20		
19	सीधी	42	मंझोली	11		
			योग	2677		

उपरोक्तानुसार दरें (एफ0ओ0आर0 एवं समस्त करों सहित) मेरे/हमारे द्वारा भरी गई है ।

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....
नाम ....
फर्म का नाम ....
पूरापता ....
हैसियत ....
मूहर

नोट-

01. जिलों /केन्द्रों की संख्या एव परस्पर संबंद्धता परिवर्तशील हैं । इसे लेकर किसी प्रकार की क्षति पूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा ।

02 नए केन्द्र जुडने की स्थिति में निकटस्थ केन्द्र की दरें मान्य होगी ।

परिशिष्ट - सात

अनुबंध-पत्र

नमूना प्रति
(100/- रुपये मूल्य का मुद्रांक पत्र)

यह कि म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, मेरे/हमारे द्वारा दिनांक .... को प्रबंध संचालक, म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, भोपाल को प्रस्तुत मोहरबंद निविदा के प्रतिउत्तर में परिशिष्ठ 4 में दर्शित 19 जिलों के 42 प्रदाय केन्द्रों/ स्थित स्थानीय गोदामों में आई.एस.आई. मार्का आयोडीनयुक्त नमक परिशिष्ठ क्र0 06 के खण्ड " अ " तथा खंड " ब " में अंकित समस्त करों सहित उल्लेखित दरों (एफ0ओ0आर0) हेतु निविदा स्वीकृत करने के लिये सहमत है । अतः मैं/हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स .... जो कि एक पंजीयन निर्माता/भागीदारी फर्म/ स्वामित्व प्रोपाईटरशिप फर्म/कंपनी है और जिसके भागीदार/स्वामी) श्री .... पुत्र .... श्री .... निवासी........................ एवं फर्म का पंजीकृत .... (जिसे इसमें इसकी आगे निविदाकार /नमक निर्माता कहा गया है एवं प्रबंध् संचालक , म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, भोपाल (जिसे इसमें आगे कार्पोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक .... को यह करार निष्पादित करता हूं/करते हैं । इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मैने/हमने म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के विभिन्न निर्धारित प्रदाय केन्द्रों/गोदामों में आई.एस.आई. मार्का आयोडीनयुक्त नमक प्रदाय करने हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0, द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक .... दिनांक .... तथा संविदा की सामान्य शर्तों और उसके अनुबंधों/निर्देशों तथा परिशिष्टों का परीक्षण मैं/हम, मेरे/ हमारे द्वारा प्रबंध संचालक, म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन भोपाल को प्रस्तुत निविदा के परिणामस्वरुप प्रस्ताव पत्र क्रमांक .... दिनांक ....में जो इस करार का एक भाग हैं मै/हम विनिर्दिष्ट की गई दरों पर निविदा के प्रबंधनों तथा शर्तों के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से ले रहा हूं/ले रहे हैं । मैं/हम उक्त कार्पोरेशन को यह आश्वासन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं पर मेरी/हमारी सर्वोतम योग्यता से करुंगा/करेंगे ।

निविदा दस्तावेज में समाहित उदबोघन, निविदा/निर्देश व मार्गदर्शक सूचनाएं सभी नियम एंव शर्ते, उसमें संलग्न सभी पृष्ठ एवम् परिशिष्ठ आदि इस अनुबंध पत्र के अभिन्न अंग हैं जो हमें मान्य हैं, और हम दोनों पक्षकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य हैं ।

यह करार दिनांक .... से .... के लिये या उस दिनांक तक, जिस तक यह संविदा बढाई जायें, लागू रहेगा ।

(संविदाकार) वह हैसियत,
जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा हैं ।

कार्पोरेशन की ओर से अधिकृत
अंधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी

1. ....
   ....
2. ....
   ....

साक्षी

1.
2.